अध्याय – 3

निर्णय लेने की प्रक्रिया

1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैन्युअल और बिजीनेस मैन्युअल के नियमों आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)	म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित सेवा नियम निर्देश अनुसार
2	किसी किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है?	प्रत्येक मामले में निर्णय लेने के लिए प्रकरण कार्यालय से उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं तत्पश्चात् विषयों से संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रकरण निर्णय लेने हेतु मान. अध्यक्ष/सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है।
3	लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या आवश्यक है?	आवश्यकतानुसार जनता को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। केन्द्रों को परिपत्र भेजे जाते हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाचार पत्रों/सूचना माध्यमों के द्वारा भी जन सामान्य को सूचित किया जाता है। कार्यालय की वेबसाइट www.mpsos.nic.in पर प्रदर्शित की जाती है।
4	विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है?	कार्यालय में विभिन्न विषयों के लिए अधिकारी नामांकित हैं उन्हीं के परामर्श से निर्णय लिए जाते हैं।
5	अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी?	संचालक/मा.अध्यक्ष/ कार्यकारिणी/बोर्ड की साधारण सभा प्रावधानुसार।

मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में अंकित है :–

विषय	**निविदा स्वीकृति, तृतीय श्रेणी तक अधिकारियों के स्थानान्तर एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही**
दिशा निर्देश (यदि हो तो)	अधिनियम, विनियम, कार्य नियमावली, सेवा नियम एवं प्रचलित शासकीय निर्देशों के अनुसार।
निर्णय लेने की प्रक्रिया	सभी प्रकरण सामान्यतः कार्यालय द्वारा अन्य नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं।

निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, बोर्ड अध्यक्ष एवं सक्षम समिति अधिनियम/विनियम के प्रावधान अनुसार।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	बैठक आयोजन की सूचना जारी की जाती है।
निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें?	अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में अपील बोर्ड अध्यक्ष को की जा सकती है। अन्य मामलों में राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग को आवेदन किया जा सकता है।